तरूण तेजपाल ने उच्च न्यायालय से जमानत याचिका वापस ली, ‘‘उपयुक्त’’ अदालत में जाएंगे Thursday, 28 November 2013 17:47

नई दिल्ली। अपनी महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न

करने के आरोपी तरूण तेजपाल ने बदली रणनीति के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय से आज अपनी जमानत याचिका वापस ले ली और कहा कि वह ‘‘उचित निवारण के लिए उचित अदालत’’ में जाएंगे ।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से एक दिन पहले तेजपाल के वकील ने यह याचिका डाली जिस पर न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने याचिका को अनुमति दे दी । न्यायमूर्ति गुप्ता ने कल मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था ।

तेजपाल की तरफ से उपस्थित होने वाले वकील संदीप कपूर ने कहा, ‘‘हमने न्यायाधीश से कहा कि हम उपयुक्त निवारण के लिए उपयुक्त अदालत जाने की खातिर इसे वापस ले रहे हैं जिसमें अग्रिम जमानत भी शामिल है और अदालत ने याचिका को अनुमति दे दी ।’’

अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद तेजपाल छह महीने के लिए तहलका के प्रधान संपादक पद से हट गए थे ।

मामले में गोवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के भय से तेजपाल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अग्रिम जमानत या ट्रांजिट बेल की मांग की थी ।

गोवा पुलिस ने उन्हें आज अपराह्न तीन बजे तक अपने समक्ष उपस्थित होने का समन जारी किया था ।

इस बीच तेजपाल ने गोवा पुलिस को पत्र लिखकर कहा कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और उपस्थित होने के लिए दो दिनों का वक्त मांगा ।

1 / 2

तरूण तेजपाल ने उच्च न्यायालय से जमानत याचिका वापस ली, ‘‘उपयुक्त’’ अदालत में जाएंगे Thursday, 28 November 2013 17:47

उन्होंने कहा कि वह शनिवार दोपहर तक गोवा पहुंचेंगे ।

(भाषा)

2 / 2